

—: आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश पर वर्ष 2008 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर नवीन वेतनमान 2008 में वेतन श्रृंखला 15600-39100 में नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है:-

क्रम सं०	नाम चिकित्सा अधिकारी व पता	मेरिट सं.	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डा० शिव कुमार गुप्ता, द्वारा सत्यनारायण जी तिवाडी, ए-39-बी, शास्त्रीनगर जयपुर	R-1	11-06-76	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र गुढाचुरानी (अलवर)
2.	डा० बासुदेव गुप्ता, द्वारा सी० एम० बंसल एस-19, अशोक विहार विस्तार, अर्जुन नगर फाटक जयपुर	R-2	05-01-78	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र घंटाली (प्रतापगढ)
3.	डा० सतोष कुमार गुप्ता, 3, कृष्णा नगर-बी, महेश नगर रेलवे कासिंग के पास, महेश नगर जयपुर-302015	R-3	28-01-79	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र सुहागपुरा (प्रतापगढ)
4.	डा० लोकेन्द्र कुमार गोयल, पुत्र श्री श्याम सरण गोयल, दानी मौहल्ला, ब्रह्मवाद तह० बयाला जिला भरतपुर-	R-4	08-10-79	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र गिलून्द (राजसमन्द्र)
5.	डा० नवनीत कुमार, बी-209-डी, मंगल मार्ग, बापूनगर जयपुर	R-5	24-04-80	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र कलाणा (हनुमानगढ)
6.	डा० नीरज कुमार जैन, द्वारा श्री प्यारेलाल शर्मा, जैन मंदिर के सामने, सोजतरोड (पाली)	R-6	09-12-80	GEN	सामु०स्वा०केन्द्र सोजतरोड (पाली)
7.	डा० प्रशांत गढवाल, पुत्र श्री हरलाल सिंह गढवाल, चरण सिंह नगर, नवलगढ रोड सीकर	R-7	26-01-81	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र पनलावा (सीकर)
8.	डा० राजेन्द्र कुमार गोयल, रेलवे लाईन के बगल में, हलैना रोड कटरा नदबई भरतपुर	R-8	30-06-81	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र मुण्डारा (पाली)
9.	डा० प्रशांत गांधी, कमरा नं० 217, चौ० जिले सिंह हॉस्टल, प्रतीक मार्केट मुनिरका नई दिल्ली	R-11	16-09-81	GEN	प्रा०स्वा०केन्द्र नवातला (बाडमेर)
10.	डा० दिव्या बत्रा, 35/131, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर-302020	R-38	27-08-72	Gen-F	प्रा०स्वा०केन्द्र होद (सीकर)
11.	डा० रचना अग्रवाल, पुत्री श्री श्रीनिवास अग्रवाल 12/111 सहर वाली गली, सन्तर रोड धौलपुर-328001	R-48	09-06-82	Gen-F	प्रा०स्वा०केन्द्र बारह (धौलपुर)
12.	डा० स्मृति भार्गव, 188-ए, वसुन्धरा कॉलोनी, टोक रोड जयपुर-302018	R-49	19-07-82	Gen-F	सामु०स्वा०केन्द्र पण्डेर (भीलवाडा)
13.	डा० पम्मी कोचर, कोचर किलनीक, रतनगढ चुरू	R-52	07-07-73	Gen-F	प्रा०स्वा०केन्द्र कानूता (चुरू)
14.	डा० सुखपाल सिंह बराड, पुत्र श्री बलिहार सिंह बराड, 5, ई-331, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर-334003	R-59	20-06-74	OBC-M	प्रा०स्वा०केन्द्र धोलीपाल (हनुमानगढ)
15.	डा० अभिषेक पवार, पुत्र डा० के० सी० पवार, ए-59, सुभाष नगर भीलवाडा-311001	R-85	08-02-82	SC-M	प्रा०स्वा०केन्द्र बागोर (भीलवाडा)
16.	डा० मनोज कुमार आर्य, मकान नं० 65, टैगोर नगर, करतारपुरा जयपुर-302006	R-87	23-06-76	SC-M	प्रा०स्वा०केन्द्र सूथडी (जालौर)
17.	डा० विकास रोहिला, बी-130 अग्रसेन नगर चुरू राजस्थान	R-89	07-08-80	SC-M	प्रा०स्वा०केन्द्र बनेडिया (राजसमन्द्र)
18.	डा० निहाल सिंह मीणा, द्वारा श्री देबू राम मीणा, आई/सी/12 कुडी भगतासनी हाजसिंग बोर्ड, बासनी जोधपुर	R-95	02-06-78	ST-M	प्रा०स्वा०केन्द्र सारण (पाली)
19.	डा० सुमन कंवर, द्वारा श्री सवाईसिंह कविया प्रा०पो० काशी का बास वाया सांवली जिला सीकर राजस्थान	R-100	07-01-81	OBC-F	प्रा०स्वा०केन्द्र बडलियास (भीलवाडा)

20.	डा0 रितु चौधरी, द्वारा श्री पवन कुमार चौधरी 111/डी-13, राजकीय मल्टीस्टोरी फ्लैट्स गांधीनगर जयपुर	R-101	09-07-81	OBC-F	प्रा0स्वा0केन्द्र रायला (भीलवाडा)
21.	डा0 मदन लाल मीणा, गोपाल जी सीढी, सब्जी मंडी खेरवाडा, जिला उदयपुर	R-102	09-07-73	ST-M	प्रा0स्वा0केन्द्र डोडा (झालावाड)
22.	डा0 सीमा मीणा, मकान नं0 10-बी, गली नं0 9, सरस्वती कॉलोनी, बांरा रोड कोटा	R-122	17-07-78	ST-F	प्रा0स्वा0केन्द्र मेघपुरा (चित्तोडगढ)
23.	डा0 ममता मेहरा, मेहरा भवन, रामपुरा गली नं0 6, लालगढ बीकानेर	R-123	07-12-80	SC-F	प्रा0स्वा0केन्द्र वूडिना (झुन्झुनू)
24.	डा0 रश्मि नेवला, 30, प्रेम मंदिर कॉलोनी, बजरिया, सवाईमाधोपुर-322001	R-124	13-06-81	ST-F	प्रा0स्वा0केन्द्र सूरवाल (सवाईमाधोपुर)
25.	डा0 पदमा पवार, पुत्र श्री रमेश चंद पवार, 56/112, रजत पथ मानसरोवर जयपुर	R-125	02-02-78	SC-F	सामु0स्वा0केन्द्र निम्बीजोधा (नागौर)
26.	डा0 मंजू बथाडिया, प्लॉट नं0 538-39, बरकतनगर टॉक फाटक जयपुर	R-127	07-05-80	SC-F	प्रा0स्वा0केन्द्र जावदा (चित्तोडगढ)

परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।


उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधधीन है।

दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर-भीतर तक कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यभार न संभालने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेंगे।


उपरोक्त चिकित्सकों को प्रथमतः अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी है, सीधे ही पदस्थापन के स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना है।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नहीं है।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 5) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 6) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 7) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 8) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।
- 9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 10) संबंधित डीलिंग असिस्टेंट को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त मूल आवेदन पत्र मय संलग्न दस्तावेजों के, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त मूल वरिष्ठ सत्यापन एवं चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रोल आदि सहित।
- 11) आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली / प्रकृती सार स्व


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।